



केन्द्रीय विद्यालय संगठन /KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN  
क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा/REGIONAL OFFICE, AGRA  
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के, अधीन स्वायत्त निकाय, भारत सरकार)  
(An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India)  
ग्रान्ड परेड रोड, आगरा छावनी/Grand Parade Road, Agra Cantt  
आगरा (उ.प्र.)- 282001/Agra (U.P.) - 282001  
☎0562-2225530, 2225588, 2225523  
Fax : 0562-2225374  
email :- [admnkvsroagra@gmail.com](mailto:admnkvsroagra@gmail.com)  
Website :- <https://roagra.kvs.gov.in>

एफ.30075-2/2012/केविएस(एजीआर)/प्रशा/ 6299

दिनांक: 06.02.2024

### कार्यालय आदेश

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या एफ. 11-17/2010-केविसं/(मुख्या)/ (प्रशा.-1)/593 दिनांक 14.05.2010 में उल्लेखित प्रावधानानुसार केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा एवं अधीनस्थ केन्द्रीय विद्यालयों में कार्यरत सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के समस्त शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है-

क्रम सं.	नाम	पदनाम	मनोनित अधिकारी
1.	श्री राजकुमार	सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय), आगरा	सम्पर्क अधिकारी
2.	श्री नवल सिंह	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय सिख लाईन्स मेरठ कैंट	सदस्य
3.	श्री रमेश चन्द्र	प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय क 2 आगरा	सदस्य
4.	श्री मनोज सुनारिया	आशुलिपिक ग्रेड-1	सदस्य

उक्त समिति केन्द्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा संहिता के अनुच्छेद 159 एवं केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मुख्यालय नई दिल्ली के कार्यालय आदेश संख्या एफ. 11-17/2010-केविसं/ (मुख्या)/ (प्रशा.-1)/593 दिनांक 14.05.2010 में उल्लेखित निर्देशों एवं कार्यों का निर्वहन करेंगे। इस कार्यालय द्वारा इस संबंध में पूर्व में निर्गत आदेशों को निष्प्रभावी समझा जाये।

(शेक ताजुद्दीन)  
उपायुक्त

#### वितरण:-

1. संबंधित पदाधिकारी।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशासन/कार्मिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ।
4. निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन समस्त आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों को सूचनार्थ।
5. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (क्षेत्रीय कार्यालय), आगरा को सूचनार्थ।
6. प्राचार्य, समस्त केन्द्रीय विद्यालय, आगरा संभाग को इस आशय के साथ प्रेषित किये सभी शिक्षकों/कर्मचारियों के संज्ञान में इस आदेश का लायें।
7. गार्ड फाइल।